राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ दीवानी विविध अपील संख्या–5744/2018

राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जरिए महाप्रबंधक, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, परिवहन मार्ग, चौमू हाउ्स, सी–स्कीम, जयपुर जरिए ऑफिसर इन्चार्ज (स्वामी बस संख्या आर.जे.14–1 पी–0061)

–––अपीलार्थी/अप्रार्थी

–: बनाम :–

1. कुम्फूराम शर्मा पुत्र श्री हरिनारायण शर्मा, उम्र लगभग 38 साल, निवासी गांव व पोस्ट बलदेवगढ़, तहसील राजगढ़, जिला जयपुर, वर्तमान निवासी प्लॉट संख्या ए–462, गांव नारदपुरा, जे.डी.ए. कॉलोनी, तहसील आमेर, जिला जयपुर। –––प्रत्यर्थी/प्रार्थी

2. छगनलाल पुत्र श्री शिवचरण शर्मा, निवासी गांव सैनथल, जिला दौसा (चालक रोडवेज बस संख्या आर.जे.14–1 पी–0061)
3. जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, निवासी आनन्द कॉलोनी, दौसा, वर्तमान इन्चार्ज दौसा रोडवेज डिपो, दौसा
(चालक जरिए नोटिस अन्तर्गत धारा 133 एम.वी.एक्ट व पॉवर आफ एटोर्नी होल्डर रोडवेज बस संख्या आर.जे.14–1 पी–0061)

–––प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः– 21.12.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी

1. अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा यह सिविल विविध अपील न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण एवं अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम–04, जयपुर जिला, जयपुर (जिसे इस निर्णय में आगे ''अधीनस्थ अधिकरण'' सम्बोधित किया जावेगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या– 743/2014 (1223/2009) में पारित निर्णय व पंचाट दिनांक 18.08.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। इस निर्णय व पंचाट द्वारा 'अधीनस्थ अधिकरण' ने प्रत्यर्थी

संख्या –1 क्लेमेंट कुम्फूराम को दुर्घटना में आयी चोटों की प्रतिकर के रूप में कुल 5,75,333/– रूप क्षतिपूर्ति राशि दिलायी है ।

संक्षिप्त तथ्य

2. क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या–1/क्लेमेंट दिनांक 07.12.2008 को जब बिहारीपुरा बामनवास अपनी मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.29–2एम–1307 से जा रहा था तो अजबगढ़ स्थित मानगढ़ होटल के 50 मीटर आगे जब वह पहुंचा तो सामने से आ रही रोडवेज बस संख्या आर.जे.14–1पी–0061 के चालक ने उक्त बस को अत्यधिक तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाईकिल को जोर से टक्कर मारी जिससे प्रत्यर्थी संख्या –1/क्लेमेंट को गंभीर चोट आयी । दुर्घटना के संबंध में दर्ज करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाद अनुसंधान बस चालक अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रत्यर्थी संख्या–1 ने दुर्घटना के समय अपनी आयु 29 वर्ष होना वर्णित करते हुए व 10 हजार रूपए मासिक आय अर्जित करना बतलाते हुए यह कहा कि उसका एक पांव दुर्घटना के कारण पूर्णतः निःशक्त और बेकार हो गया है व वह स्थायी रूप से विकलांग हो गया है । प्रत्यर्थी संख्या–1 क्लेम याचिका में वर्णित प्रतिकर राशि दिलायी जाने की मांग की।

3. अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या –3 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्रस्तुत जवाब में बस चालक द्वारा दुर्घटना कारित करने के तथ्य से इन्कार करते हुए कहा गया कि क्लेम प्राप्त करने के आशय से पुलिस से मिली भगत कर बस चालक के विरूद्ध करी व 26 दिन बाद झूंठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसे दर्ज कराने में हुए उक्त विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बतलाया गया है । जवाब में अन्य विधिक आपत्तियां भी ली गईं । अन्त में क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई ।

4. 'अधीनस्थ अधिकरण' ने प्रकरण में आवश्यक विवाद्यक कायम किए जिस पर दोनों पक्षों की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई। इस

अपील में मुख्य रूप से विवाद्यक संख्या –1 को चुनौती दी गई है, जो निम्न प्रकार विरचित किया गया था :–

> ''आया प्रश्नगत वाहन रोडवेज बस नंबर आरजे14–1पी–0061 के चालक विपक्षी संख्या–1 के द्वारा दिनांक 07.12.2008 को समय 11.00 ए.एम. पर अजबगढ़ स्थित मानबाग होटल के पास, पुलिस थाना प्रतापगढ़ क्षेत्र में उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर की गई दुर्घटना के परिणामस्वरूप प्रार्थी कुम्फूराम के चोटें कारित हुईं ? ''

5. इस तनकी पर बहस करते हुए योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा घटना दिनांक 07.12.2008 को घटित होना कहा गया था, स्वीकृत स्प से तथाकथित दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 26 दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गई थी, जिसका कोई स्पष्टीकरण प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा नहीं दिया गया है । पुलिस का दुर्घटना के बाद दुर्घटना स्थल पर आना स्वयं प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा स्वीकार किया गया था और साक्षी मातादीन ने भी अजबगढ़ पुलिस चौकी से दुर्घटना के बाद दुर्घटना स्थल पर पुलिस का आना बतलाया था, इसके बावजूद दुर्घटना के दिन ही प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं करायी गई इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है एवं यह तथ्य स्वयंमेव में प्रश्नगत बस को दुर्घटना में झूंठा लिप्त किया जाना प्रमाणित करता है । इन तथ्यों व परिस्थितियों पर ''अधीनस्थ अधिकरण'' ने सही रूप से विचार नहीं किया है।

6. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनों पर विचार किया गया व आक्षेपित निर्णय व संपूर्ण अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया ।

निर्विवादित रूप से दुर्घटना दिनांक 07.12.2008 की बतायी गई थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03.01.2009 को दर्ज करायी गई थी। परन्तु दुर्घटना के फलस्वरूप प्रत्यर्थी संख्या–1 के शरीर पर काफी चोटें कारित हुई थी व उसका काफी खून बह गया था और उसके पैर की हड्डियां टूट गई थीं । इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ अधिकरण का यह

निष्कर्ष विधिनुरूप है कि किसी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि दुर्घटना के तुरन्त बाद पीड़ित व्यक्ति के ईलाज को वरीयता नहीं दी जावे और पुलिस स्टेशन जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने को वरीयता दी जावे। अधीनस्थ अधिकरण के ये निष्कर्ष भी विधिनुरूप हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराये जाने मात्र से क्लेम याचिका पर संदेह नहीं किया जा सकता । आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभिलेख पर डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श–19 प्रमाणित कराया गया था जिससे दुर्घटना की दिनांक 07.12.2008 को ही अपीलार्थी का एस.एम.एस. अस्पताल में भर्ती होना प्रकट होता है साथ ही उसके बैडहैड टिकट में भी दुर्घटना की दिनांक 07.12.2008 को एस.एम.एस. अस्पताल में भर्ती होना व ''Road Traffice Accident'' होना अंकित था । दिनांक 07.12.2008 को प्रश्नगत बस के चालक द्वारा बस को गफलत व लापरवाही से चलाकर प्रत्यर्थी संख्या–1 को टक्कर मारना व इस दुर्घटना से प्रत्यर्थी संख्या–1 को चोटें आना प्रत्यक्षदर्शी व स्वतंत्र साक्षी मातादीन ए0ड0 2 ने व प्रत्यर्थी संख्या–1 आहत कुन्फूराम ने साक्ष्य से प्रमाणित किया है। बस चालक छगनलाल प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र व अन्य दस्तावेज संपुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गए थे जिन्हे प्रत्यर्थी संख्या–1 ने प्रमाणित किया था। प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में अपीलार्थीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, यहां तक की बस चालक छगनलाल प्रत्यर्थी संख्या–2 को भी साक्ष्य में प्रस्तुत नही किया है। अपीलार्थीगण ने इस पर भी कोई विवाद नही किया हैं कि दुर्घटना की दिनांक व दुर्घटना के समय प्रश्नगत बस उस मार्ग पर जहां दुर्घटना हुई थी वहां नहीं चल रही थी।

इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण ने तनकी संख्या–1 का निर्णय प्रत्यर्थी संख्या–1 के पक्ष में करने में कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है ।

उक्त विवेचन के प्रकाश में इस अपील में कोई सार नहीं होने से यह अपील एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)